

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री शहजाद खां।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

फरियादी बनवारी उप०।

फरियादी ने उपस्थित होकर प्रकरण में राजीनामा की संभावना व्यक्त की।  
अतः उभयपक्षों ने राजीनामा की संभावना हेतु मीडिएशन में प्रकरण रैफर किए जाने का निवेदन किया है।

उभय पक्षों के मध्य संबंधों एवं प्रकरण की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुये प्रकरण में मध्यस्थता के माध्यम से उभय पक्षों के मध्य विवाद का पूर्ण रूप से निराकरण होना संभव प्रतीत होता है। अतः न्याय दृष्टांत A fcons Infrastructure Limited Vs Cheriyan Varkey Construction Company private Limited (2010)8 SSC 24 में दिए गए निर्देश के अनुसार मध्यस्थता के लिए एक उपयुक्त प्रकरण है।

उभयपक्षों से मध्यस्थता के संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा प्रशिक्षित मध्यस्थ **सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी, जेएमएफसी गोहद** का चुनाव किया है।

अतः मध्यस्थता सम्प्रेषण आदेश उभय पक्षों व उनके अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर कर मध्यस्थता हेतु उपरोक्त मध्यस्थ को भेजा जाये। उभय पक्ष आज दिनांक 03 बजे मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित हों। मध्यस्थ को निर्देशित किया जाता है कि वे मध्यस्थता का परिणाम सफल/असफल जो भी हो दिनांक 25.01.17 तक सूचित करें।

प्रकरण आगामी दिनांक 25.01.17 को मीडियेशन कार्यवाही के प्रतिवेदन की प्रस्तुती हेतु पेश हो।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class  
Gohad distt.Bhind (M.P.)

पुनश्च:

उभयपक्ष पूर्ववत।

प्रकरण मे मीडियेशन रिपोर्ट सफलता की टीप सहित प्रस्तुत।

फरियादी एवं आहत की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320-2 एवं धारा 320-4 ख द0प्र0स0 एवं राजीनामा आवेदन फरियादी के हस्ताक्षर प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री तेजपाल तोमर तथा अभियुक्तगण की पहचान उनके अधिवक्ता श्री शहजाद खां द्वारा की गई।

उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी की ओर से अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है। फरियादी संविदा समर्थ होकर अपनी एवं आहत मां रामबेटी की ओर से सहमति देने में समर्थ दर्शित है।



# Order Sheet [Contd]

Case No. .... of 20 .....

Signature of Parties or Pleaders where necessary	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer
	<p>अभियुक्तगण पर भा0द0वि0 की धारा 294, 323/34 तथा 506 भाग दो के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप है जो कि शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।</p> <p>अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है।</p> <p>अभियुक्तगण को धारा 294, 323/34 तथा 506 भाग दो भा0द0वि0 के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। प्रकरण में आगामी दिनांक निरस्त की जाती है।</p> <p>प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि बाद नष्ट की जावे। अपील होने पर अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।</p> <p>प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में प्रेषित हो।</p>

(A.K. Gupta)

Judicial Magistrate First Class  
Gohad distt. Bhind (M.P.)